प्रेम बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	दावा मु.नं. – 14/2021
14.2.22 प.मा. मालसिंह Jitendra	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी आ। साक्ष्य वादी मे वादीया प्रेम देवी व वादी की साक्ष्य गवाह मे गवाह जितेन्द्र सिंह व मालसिंह के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये। जो शामील पत्रावली किये गये। प्रकरण मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट जरिये पत्रांक/मु.अ./2022/386 दिनांक 14-2-22 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामील पत्रावली की गई। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 21-2-22 को पेश हो।
21.02.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीया उपस्थित। वकील वादीया के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीया एक पक्षीय सुनी गयी। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। ... 21.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले ... सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.03.03 11:21:27 IST Reason: SelfAttested 21/02 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
14/2022	2022/28	01.02.2022	21.02.2022

उनवान

[redacted] पत्नी मोहन सिंह आयु 69 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

--वादीया

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान — प्रतिवादी

उपस्थित–

श्री रणवीर सिंह शेखावत, वादीया अभिभाषक।
पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घोषणा, दुरुस्ती रिकार्ड अंतर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादी की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 6625 रकबा 0.52 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.52 हैक्टर अवस्थित तन् राजस्व ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान पर वादीया कदीम से काबिज खातेदार काश्तकार चली आ रही है। [illegible] में राजस्व कर्मचारियो, पटवारी हल्का आदि द्वारा वादीया का नाम [illegible] कंवर दर्ज कर दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.03 11:21:27 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक),
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादीया का सही नाम जोर कंवर नही होकर प्रेम है, जो सही एवं शुद्ध हैं। यंहा यह भी लिखा जाना आवश्यक है कि ग्राम हरिपुरा की भूमि खाता संख्या नया 136 में वादीया का सही नाम प्रेम पत्नी मोहनसिंह दर्ज रिकार्ड है तथा वादीया के आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिवार राशनकार्ड व पंजाब नेशलन बैंक खाते की बैंक पास बुक आदि में प्रेम पत्नी मोहन सिंह अंकित है तथा वादीया के पति सेना में कार्यरत थे जिनकी पेंशन आदि भी वादीया प्राप्त करती आ रही है जिसमें भी वादीया का नाम प्रेम पत्नी मोहनसिंह ही अंकित है जो पंजाब नेशनल बैंक शाखा अजीतगढ़ से पेशन ले रही है। वादीया को उक्त गलत इन्द्राज बाबत पूर्व में कोई जानकारी नही रही हैं, ना ही वादीया को कभी इसकी आवश्यकता ही महसूस हुयी है, परन्तु माह जनवरी 2022 में वादीया ने भूमि का किसान कार्ड बनाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया व किसान कार्ड बनाने हेतु निवेदन किया तो हल्का पटवारी द्वारा यह कंहा गया कि आपका नाम तो रिकार्ड में जोरकंवर पत्नी मोहन सिंह दर्ज हैं व अन्य कागजो में प्रेम पत्नी मोहन सिंह दर्ज हैं। इस कारण उक्त अशुद्धि को शुद्ध किये जाने पर ही आपके नाम से किसान कार्ड बन सकेगा। वादीया ने उक्त अशुद्धि को शुद्धि करने हेतु पटवारी हल्का व तहसीलदार महोदय श्रीमाधोपुर से कागजात दिखाकर निवेदन किया तो उन्होने न्यायालय से शुद्धि कराने बाबत कहा गया। इस कारण मजबूर होकर वादीया को यह वादपत्र न्यायालय हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ है। राजस्व कर्मचारियो ने गलती से वादीया का नाम प्रेम के बजाय जोरकंवर दर्ज कर दिया जो कि दुरूस्तनीय है। इस कारण वादीया का नाम जोरकंवर के स्थान पर प्रेम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उक्त गलत इन्द्राज से वादीया को सख्त हकतलफी है। वादीया को राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा खातेदारो को दी जाने वाली सुविधाओ से वादीया को वंचित होना पड़ता है। इस कारण उक्त शुद्धि किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। बिनाय दावा पटवारी हल्का व तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा वादीया को सही नाम दर्ज कराने हेतु न्यायालय में वाद दायर कर शुद्धि कराने बाबत कहने से वाद कारण पैदा होकर लगातार हो रहा है। दावा अन्दर मियाद सादर प्रस्तुत है। अतः वाद वादीया निम्न रूपण [illegible] जावे :– घोषणा बाबत दुरूस्ती उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 6625 रकबा 0.52 [illegible] किता 1 कुल रकबा 0.52 हैक्टर अवस्थित तन् राजस्व ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का [illegible] की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में दर्ज जोरकंवर पत्नी मोहनसिंह के स्थान पर प्रेम पत्नी मोहन सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.03 11:21:27 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दर्ज किये जाने की स्वीकृति जरिये डिक्री प्रदान कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती फरमायी जाने का निवेदन किया है।

इस पर वादीया के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी नं. 1 तहसीलदार श्रीमाधोपुर की सम्मन तामील असालतन होकर लौटी है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पंत्राक 386/भू.अ./2022 दिनांक 14.02.2022 के द्वारा तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन वकील वादीया के द्वारा किया गया।

हमनें वादीया अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की जमाबन्दीयॉ–दो, आधार कार्ड, आयकर विभाग का पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पंजाब नेशनल बैंक शाखा अजीतगढ़ की खाता पास–बुक इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में वादीया का नाम खातेदार जोरकवंर पत्नि मोहनसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जो गलत दर्ज है। जबकि वादीया के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, पंजाब नेशनल बैंक शाखा अजीतगढ़ की खाता पास–बुक इत्यादि में वादीया का सही नाम प्रेम पत्नि मोहनसिंह जाति राजपूत दर्ज है। जो सही है। जिस बाबत भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांकित 14.02.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि उक्त वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में जोरकवंर पत्नि मोहनसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड होना अवगत कराया गया है। जबकि ग्राम पंचायत बुर्जा की ढ़ाणी के सरंपच द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आयकर कार्ड, बैंक पासबुक, राशनकार्ड आदि दस्तावेजात में वादीया का नाम प्रेम पत्नि मोहनसिंह दर्ज है। वादीया का नाम जोरकवंर पत्नि मोहनसिंह जाति राजपूत के स्थान पर सही नाम प्रेम पत्नि मोहनसिंह जाति राजपूत दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है। साक्ष्य वादीया में वादीया प्रेम देवी व वादी गवाह में जितेन्द्र सिंह व [illegible]लसिंह द्वारा प्रस्तुत लिखितशुदा शपथपत्रों से भी वादीया के वादपत्र को बल मिलता [illegible] श्रीमाधोपुर की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट से भी वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.03 11:21:27 IST
Reason: SelfAttested

21/02/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादीया का वाद बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 6625 रकबा 0.52 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.52 हैक्टर की खातेदारी में दर्ज जोरकंवर पत्नी मोहनसिंह के स्थान पर प्रेम पत्नी मोहन सिंह घोषित किया जाकर दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी [illegible] पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 21.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

21/02/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.03 11:21:27 IST
Reason: SelfAttested